



फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
 प्रकरण संख्या 45/2022 शीर्षक परकार बनाम मै. नाकाडा

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	<p>28/11/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्था की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>26/11/2024</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़) </p>	
	<p>26/12/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अर्जा संख्या 01 के अधिवक्ता जवाब पेश करने हेतु समय माहते ही समझा दिया जाता है। आगामी पेशी दिनांक के अनिवार्य रूप से जवाब पेश करे। अर्जा जवाब का अवसर स्वतः बंद लगाना जावे। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 19/02/2025 को पेश करे।</p>	
	<p>19/02/2025 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। अर्जा संख्या 01 के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु परमाप्त अवसर उपदान नहिं गये किन्तु अर्जा संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया। अतः अर्जा संख्या 01 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। अर्जा चैरोकार सरकार ने बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष को सुना गया। बहस पर अनुरोध किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अर्जा चैरोकार सरकार का अर्जा न्याय अंतर्गत धारा 212 संजलान माशतकारी अधिनियम का स्थानांतरित किया जाकर काम अनोपपुल परवार नगल कुन्दा तहसील देवगढ़ के कोर्ट में संख्या 03, व 631/2024 शक 0.8400 ई. में अर्जा के विरुद्ध मौज करि हुई की प्रमाणित मूल अर्जा पर के निष्ठा (न) तक काम करने हेतु अर्जा संख्या 01 को पाके किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार ही नम्बर देकर ही जावे।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द </p>	